

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III का स्थानान्तरण/समायोजन कौतम संख्या 9 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है :-

S. No	Name	Post	Employee ID	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	ABHISHEK JAAT	Lab Assistant (III Gr.)	RJJJ202023025451	SWATANTRATA SENANI PANDIT TARKESHWAR SHARMA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PACHERI BARI (215956)	JHUNJHUNUN	CHURU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHERERA (211198)	BIKANER	BIKANER

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वच्छ ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पंरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वच्छ से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- नवीन स्थानान्तरित जिले में स्थानान्तरित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2022

दिनांक:- 07/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करावाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबंधित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-1A के स्थानान्तरण आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जारी किये गये थे, उक्त आदेश में कॉलम संख्या 12 में अंकितानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

Sr. No	Sr.no in Order	Name	Employee I.D.	Subject	Present Posting Place			Transferred Place			आंशिक संशोधन
					Name of School	District	Range	Name of School	District	Range	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23	KANHEYA LAL	RJJW201222013516	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODANA (220441)	JAISALMER	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 7 S J M (212280)	GANGANAGAR	BIKANEER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 7 S J M (212280) के स्थान पर GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 2 KM DABBAR (212123) GANGANAGAR किया जाता है।

शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 02.09.2022 के अनुसार यथावत रहेंगी।

*Ga*  
(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बील-2/2022  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 07/09/22

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (युप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डार्ट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय नेट-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- संबंधित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

*Ba*  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलेज संख्या 9 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Post	Employee ID	Subject	Present Posting Place			New Posting Place			Remark
					Name of School	District	Range	Name of School	District	Range	
1	KAMAL KISHORE	Senior Teacher (II Gr.)	RJJO2015240 27148	Urdu	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BADNOR (214403)	BHILWARA	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHLA (220432)	JAISALMER	JODHPUR	NO
2	GIRDHARI LAL	Senior Teacher (II Gr.)	RJL2018210 22432	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBLA (221106)	JALORE	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUMANPURA (220241)	JODHPUR	JODHPUR	NO
3	BABITA	Senior Teacher (II Gr.)	RJJO2020250 31616	SANSKRIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHERGARH (220227)	JODHPUR	JODHPUR	GOVT. UPS NAGLA HARI CHAND (509257)	BHARATPUR	BHARATPUR	NO

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करायें :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षणीय कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके संबंधित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण कराया जाये। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गाम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।
- वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंतिम करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जाये।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बंधित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करायें।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।

सत्यमेव जयते

Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2022

दिनांक:- 07/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करायें।
- संबंधित कार्मिक \_\_\_\_\_।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



**कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलम संख्या 9 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Post	Employee ID	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	UMMAID BARASA	PET (II Gr.)	RJUL201321022716	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KURCHHI (220020)	NAGAUR	AJMER	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KOOD (219051)	JODHPUR	JODHPUR
2	VIMLESH	PET (II Gr.)	RJJO201325016275	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAMBHAR LAKE (218560)	JAIPUR	JAIPUR	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDWAH (219034)	JODHPUR	JODHPUR
3	RAM NARAYAN	PET (II Gr.)	RJJP201618009015	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KERAP (219777)	NAGAUR	AJMER	BETH SEVARAM GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL OSIYAN (220300)	JODHPUR	JODHPUR
4	DEVENDRA SINGH	PET (II Gr.)	RJJS201520029255	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARIYA (222700)	RAJSAMAND	UDAIPUR	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL ARTIYA KALLA (219055)	JODHPUR	JODHPUR
5	SURENDRA CHOUDHARY	PET (II Gr.)	RJUL201321016965	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GACHHIPURA (220066)	NAGAUR	AJMER	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KURI (219049)	JODHPUR	JODHPUR
6	VIDYA SAGAR SHARMA	PET (II Gr.)	RJCR199212006446	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETASAR SUJANGARH CHURU 331802 (215470)	CHURU	CHURU	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL UTAMBAR (220259)	JODHPUR	JODHPUR

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/मौलिक बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हों तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 02 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत अतिनियुक्त/मनसूची न्यायालय से स्थान प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अयगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

*Gan*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.ए.ए.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिबिरा/माध्य/सस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2022

दिनांक:- 07/09/22

प्रतिरिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य ड्राईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते
- संबन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली।

*Gan*

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर